न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 17/2022

श्री बाबू खॉ भूतपुर्व पलिस कानि. उनियारा (मो.न. 9829367298) जिला टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 20.06.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19–03–2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

प्रार्थी ने माननीय लोकायुक्त महोदय जयपुर को एक शिकायत उप पंजीयन अधिकारी उनियारा के विरूद्ध रतन देवी पत्नी उच्छब लाल, पदमचन्द पुत्र उच्छब लाल नन्दकिशोर पुत्र उच्छब लाल जैन निवासी उनियारा का नियम विरूद्व फर्जी तरिके से दिनांक 29.03.2011 को हक त्याग का पंजीयन किया गया था जबकि उक्त लोगो के नाम 25 है ० भूमि नही है तथा आपके द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय टोंक को भेजी गई जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 08.11.2021 को भेजी गई जिसमें ख0न0 2147, 2138 तथा 1988/4030 से कोई संबंध नहीं होना बताया है तथा प्रार्थी द्वारा कि गई शिकायत झूठी निराधार बताई गई है। कृपया मय रिकार्ड उपलब्ध करावे कि ख०न० 2147/2138 किस ख०न० से बने है तथा शिकायत झूठी व निराधार केसे हुई । कृपया ध्यान रहे मेरे पास पुरा रिकार्ड है कि 2147 व 2138 ख०न० किस नम्बर से बने है मुझे जांच अधिकारी तहसीलदार उनियारा के विरूद्र गलत जांच करने, रिश्वत लेकर गलत जांच करने दोषियों को दण्ड से बचाने के लिए गलत जांच कि है। न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया है । '

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक को पत्र किमांक 626 दिनांक 25–5–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पत्र कमांक: 985 दिनांक 07–06–2022 से जवाब प्रेषित कर चाही गई सूचना के संबंध में राजस्थान सरकार, जयपुर के [illegible] क्रमांक प.3 (22)प्रसु/ सू.अ.प्र./ 06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 को [illegible] अपेक्षित नही है। ख.न. 2147 व 2138 किस खसरा नं. से [illegible] है। उक्त खसरा [illegible] का मिलान क्षैत्रफल कार्यालय में उपलब्ध नही है। उक्त की सूचना रिकार्ड तहसील कार्यालय [illegible] से प्राप्त की जा सकती है का उल्लेख किया है। लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जो प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2022 प्रेषित किया है, वह जरिये रजिस्टर्ड या साधारण डाक द्वारा प्राप्त नही हुई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की दिनांक 15.03.2022 अंकित कि है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा किस दिनांक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है स्पष्ट नही है। ख.न. 2147 व 2138 किस खसरा नं. से बने है। इस बाबत् लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने अपने पत्रांक 986–87 दिनांक 7.6.2022 से सूचना तहसीलदार उनियारा से प्राप्त करने के संबंध में अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested